



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी०सी०पी०एन०डी०टी० सैल
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : रा० पी० प्र०/एल.ए./एसएसबी/2016/

५१५

दिनांक : 29.3.16

समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी)
एवं जिला कलेक्टर महोदय राजस्थान।

समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।

समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
(जरीये जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी)

विषय :- सोनोग्राफी किये जाने से पूर्व गर्भवती महिला का पहचान पत्र लिए जाने बाबत दिशा
निर्देश।

संदर्भ :- दिनांक 25.02.2016 को आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक में लिये
गये निर्णय के बिन्दु संख्या 11 की अनुपालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी
क्रियान्वयन हेतु गर्भवती महिला की सोनोग्राफी किये जाने से पूर्व पहचान पत्र लिया जाना आवश्यक है
जिस सम्बन्ध में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ निदेशालय द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. गर्भवती महिला की सोनोग्राफी किये जाने से पूर्व केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई
पहचान पत्र लिया जाना आवश्यक है।
2. सोनोग्राफी के लिये उपस्थित गर्भवती महिला के पास मोके पर उक्त कोई पहचान पत्र नहीं होने की
स्थिति में उसके पति या निकट रिश्तेदार जो साथ आये हो का उक्त वर्णित कोई पहचान पत्र लिया
जाना आवश्यक है जो महिला द्वारा प्रमाणित किया गया हो,
3. उक्त दोनो स्थितियों में यदि गर्भवती महिला उसके पति या निकट रिश्तेदार जो साथ आये हो के
पास उक्त वर्णित पहचान का कोई दस्तावेज नहीं हो एवं सोनोग्राफी किया जाने की आपात स्थिति
हो तब स्वयं चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिला की पहचान संलग्न प्रारूप 'अ' में प्रमाणित की जाकर
सोनोग्राफी की जा सकेगी।

(निर्देशक)

विशिष्ट शासन सचिव (प०क०) एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव (चि०,स्वा० एवं प.क.),
जयपुर।

2. निजी सहायक निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन पीसीपीएनडीटी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थे जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना पीबीआई/ अपराध शाखा राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ जयपुर।
5. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी) राजस्थान को पालनार्थ।
- ✓ 6. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।



(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी
राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रारूप 'अ'

भाग 'अ'

मैं डॉ० घोषणा करता हूँ कि पत्नी/पुत्री उम्र.....
..... निवास..... जिसके निदान के लिये सोनोग्राफी
किया जाना नितांत आवश्यक है। इस समय उक्त के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, मैंने
इनके बारे में जानकारी कर ली है मैं इनकी पहचान करता हूँ।

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर गर्भवती महिला का दायां अंगूठा सोनोग्राफी करने वाले चिकित्सक के
निशानी हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

दिनांक :-

भाग 'ब'

मैं पत्नी/पुत्री उम्र..... निवास.....
..... घोषणा करती हूँ कि मेरे पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज इस समय
उपलब्ध नहीं है।

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर गर्भवती महिला का दायां अंगूठा
निशानी

स्थान :-

दिनांक :-